

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

वाद सं० : 465 सन 2021

अनवान :-

1. रायसिंह पुत्र जगराम जाति नायक निवासी ढण्डेला तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
 2. साजन पुत्र मनफुल जाति नायक निवासी ढण्डेला तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
- वादीगण

बनाम

1. दुनीराम पुत्र जगराम जाति नायक निवासी ढण्डेला तहसील नोहर।
2. पोलाराम पुत्र जगराम जाति नायक निवासी ढण्डेला तहसील नोहर।
3. जीतराम पुत्र जगराम जाति नायक निवासी ढण्डेला तहसील नोहर।
4. रामचन्द्र पुत्र जगराम जाति नायक निवासी ढण्डेला तहसील नोहर।
5. कालुराम पुत्र जयमलराम जाति नायक निवासी ढण्डेला तहसील नोहर।
6. सुखराम पुत्र जयमलराम जाति नायक निवासी ढण्डेला तहसील नोहर।
7. पवन पुत्र धर्मपाल जाति नायक निवासी ढण्डेला तहसील नोहर।
8. सुभाष पुत्र धर्मपाल जाति नायक निवासी ढण्डेला तहसील नोहर।
9. विनोद पुत्र बृजलाल पुत्र जयमलराम जाति नायक निवासी ढण्डेला तहसील नोहर।
10. अमरसिंह पुत्र मनफुल जाति नायक निवासी ढण्डेला तहसील नोहर।
11. रामकुमार पुत्र मनफुल जाति नायक निवासी ढण्डेला तहसील नोहर।
12. हनुमान पुत्र मनफुल जाति नायक निवासी ढण्डेला तहसील नोहर।
13. धर्मपाल पुत्र मनफुल जाति नायक निवासी ढण्डेला तहसील नोहर।
14. ओमप्रकाश पुत्र भादरराम जाति नायक निवासी ढण्डेला तहसील नोहर।
15. छिन्द्रपाल पुत्र भादरराम जाति नायक निवासी ढण्डेला तहसील नोहर।
16. हुकमाराम पुत्र भादरराम जाति नायक निवासी ढण्डेला तहसील नोहर।
17. वेदप्रकाश पुत्र रतिराम पुत्र भादरराम जाति नायक निवासी ढण्डेला तहसील नोहर।
18. राजाराम पुत्र रतिराम पुत्र भादरराम जाति नायक निवासी ढण्डेला तहसील नोहर।
19. गुडडी पुत्री जगराम जाति नायक निवासी ढण्डेला तहसील नोहर।
20. तीजा पुत्री जगराम जाति नायक निवासी ढण्डेला तहसील नोहर।
21. किस्तुरी पत्नी बृजलाल जाति नायक निवासी ढण्डेला तहसील नोहर।
22. रोशनी पुत्री बृजलाल जाति नायक निवासी ढण्डेला तहसील नोहर।
23. मन्जू उर्फ सन्जू पुत्री बृजलाल जाति नायक निवासी ढण्डेला तहसील नोहर।
24. मन्जु पुत्री बृजलाल जाति नायक निवासी ढण्डेला तहसील नोहर।
25. राकेश पुत्र लिलो पुत्री जगराम जाति नायक निवासी ढण्डेला तहसील नोहर।
26. महेश उर्फ रमेश पुत्र लिलो पुत्री जगराम जाति नायक निवासी ढण्डेला तहसील नोहर।
27. अशोक पुत्र लिलो पुत्री जगराम जाति नायक निवासी ढण्डेला तहसील नोहर।
28. प्रकाश पुत्र शान्ति जाति नायक निवासी ढण्डेला तहसील नोहर।
29. लिलुराम पुत्र शान्ति जाति नायक निवासी ढण्डेला तहसील नोहर।
30. भालसिंह उर्फ भालाराम पुत्र शान्ति जाति नायक निवासी ढण्डेला तहसील नोहर।
31. सिना उर्फ सीला पुत्री शान्ति जाति नायक निवासी ढण्डेला तहसील नोहर।
32. मितरलाल पुत्र गिरदावरी जाति नायक निवासी ढण्डेला तहसील नोहर।
33. रविन्द्र पुत्र गिरदावरी जाति नायक निवासी ढण्डेला तहसील नोहर।
34. सुमन पुत्री गिरदावरी जाति नायक निवासी ढण्डेला तहसील नोहर।
35. विरमाराम पुत्र मीरा जाति नायक निवासी ढण्डेला तहसील नोहर।
36. जैता पुत्र मीरा जाति नायक निवासी ढण्डेला तहसील नोहर।
37. निमा पुत्र मीराजाति नायक निवासी ढण्डेला तहसील नोहर।
38. धनकौरी पुत्र मीरा जाति नायक निवासी ढण्डेला तहसील नोहर।
39. राजो पुत्री मीरा जाति नायक निवासी ढण्डेला तहसील नोहर।
40. साहबराम पुत्र मधाराम पुत्र मीरा जाति नायक निवासी ढण्डेला तहसील नोहर।
41. कालुराम उर्फ रोहताश पुत्र मधाराम पुत्र मीरा जाति नायक निवासी ढण्डेला तहसील नोहर।
42. हेतराम पुत्र मधाराम पुत्र मीरा जाति नायक निवासी ढण्डेला तहसील नोहर।
43. कालुराम पुत्र मनीराम पुत्र मीरा जाति नायक निवासी ढण्डेला तहसील नोहर।
44. सतवीर पुत्र मनीराम पुत्र मीरा जाति नायक निवासी ढण्डेला तहसील नोहर।
45. सतपाल पुत्र मनीराम पुत्र मीरा जाति नायक निवासी ढण्डेला तहसील नोहर।
46. सीमा पुत्र मनीराम पुत्र मीरा जाति नायक निवासी ढण्डेला तहसील नोहर।
47. भागी पुत्र मनीराम पुत्र मीरा जाति नायक निवासी ढण्डेला तहसील नोहर।

48. रानी पुत्र मनीराम पुत्र मीरा जाति नायक निवासी ढण्डेला तहसील नोहर।
49. मन्जु उर्फ पुजा पुत्री दयाराम पुत्र मीरा जाति नायक निवासी ढण्डेला तहसील नोहर।
50. कृष्ण कुमार पुत्र दयाराम पुत्र मीरा जाति नायक निवासी ढण्डेला तहसील नोहर।
51. चन्द्रकला पुत्र दयाराम पुत्र मीरा जाति नायक निवासी ढण्डेला तहसील नोहर।
52. विनोद पुत्र दयाराम पुत्र मीरा जाति नायक निवासी ढण्डेला तहसील नोहर।
53. किताबो पत्नी जयमलराम जाति नायक निवासी ढण्डेला तहसील नोहर।
54. सिलोचना पुत्र जयमलराम पुत्र जगराम जाति नायक निवासी ढण्डेला तहसील नोहर।
55. रानीदेवी पुत्री जयमलराम पुत्र जगराम जाति नायक निवासी ढण्डेला तहसील नोहर।
56. रूकमा पुत्री जयमलराम पुत्र जगराम जाति नायक निवासी ढण्डेला तहसील नोहर।
57. सिलोचना उर्फ सुमन पत्नी धर्मपाल पुत्र जयमलराम जाति नायक निवासी ढण्डेला तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
58. सोनु कुमारी उर्फ सोनु पुत्री धर्मपाल पुत्र जयमलराम जाति नायक निवासी ढण्डेला तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
59. गोरा पुत्री भादरराम जाति नायक निवासी ढण्डेला तहसील नोहर।
60. गिरदावरी पत्नी रतीराम पुत्र भादरराम जाति नायक निवासी ढण्डेला तहसील नोहर।
61. केशर पुत्री रतीराम पुत्र भादरराम जाति नायक निवासी ढण्डेला तहसील नोहर।
62. रूकमा पुत्री मनफुल जाति नायक निवासी ढण्डेला तहसील नोहर।
63. रानी पुत्री मनफुल जाति नायक निवासी ढण्डेला तहसील नोहर।
64. निरमा उर्फ कृष्णा कुमारी पुत्री मनफुल जाति नायक निवासी ढण्डेला तहसील नोहर।
65. सीला उर्फ सरोज पुत्री मनफुल जाति नायक निवासी ढण्डेला तहसील नोहर।
66. मन्जू पुत्री पाली पुत्री मीरा जाति नायक निवासी ढण्डेला तहसील नोहर।
67. सुन्दर पुत्री पाली पुत्री मीरा जाति नायक निवासी ढण्डेला तहसील नोहर।
68. नोरग पुत्र पाली पुत्री मीरा जाति नायक निवासी ढण्डेला तहसील नोहर।
69. लिछमा पुत्री पाली पुत्री मीरा जाति नायक निवासी ढण्डेला तहसील नोहर।
70. रत्ना पुत्री पाली पुत्री मीरा जाति नायक निवासी ढण्डेला तहसील नोहर।
71. मुर्ति पुत्री पाली पुत्री मीरा जाति नायक निवासी ढण्डेला तहसील नोहर।
72. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता वादी

पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :- 22.10.2021

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आशय का पेश किया गया की रोही मौजा ढण्डेला बारानी के खाता संख्या 318/288 की कुल 7.1200 हैक् व रोही मौजा चक 1 बी बारानी के खाता संख्या 28/30 की 4.0480 हैक् भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 71 के नाम दर्ज है

उक्त भूमि पूर्व में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 71 के पूर्वजों के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने के बाद विरास्तन से वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 71 के नाम से दर्ज हुई है जो वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है अर्थात विरास्तन से भूमि वादी के वारिसान के नाम से दर्ज हुई है।

प्रतिवादी संख्या 19 ता 70 वादी की बहने है एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 19 की पुत्री/बहन है प्रतिवादी संख्या 19 ता 70 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 18 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 18 का बराबर का हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 ता 70 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की प्रतिवादी संख्या 1 ता 70 के नाम से दर्ज भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 18 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 70 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की वाद भूमि पूर्व में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 70 के पूर्वजों के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने के बाद विरास्तान से वाद भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 70 के नाम से दर्ज हुई है जो वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है तथा प्रतिवादी संख्या 19 ता 70 ने निवेदन किया की उन्होंने अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने भाई/पुत्रों वादी एवं प्रतिवादी संख्या 18 के पक्ष में त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 18 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे वादी एवं प्रतिवादी संख्या 18 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाल दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं परोकार राज ने निवेदन किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों एवं मजमें आम की सहमति/जानकारी के आधार पर वाद का निस्तारण फरमावे।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल/आपसी सहमति मजमे आम में होने के कारण अन्य किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं रही।

पत्रावली प्रशासन गांव के संग अभियान - वर्ष -2021 कैम्प कोर्ट में पेश हुई वादी के अधिवक्ता ने निवेदन किया की प्रकरण में उभयपक्षों की सहमति पेश हो चुकी है अर्थात वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 70 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल/सहमति पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बन्ध में कोई ऐतराज नहीं है तथा अपने कथनों के सम्बन्ध में न्यायाधिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद न्यायाधिक दृष्टान्तों एवं आपसी सहमति /मजमे आम की सहमति /जानकारी के आधार पर वाद वादी डिक्री फरमाया जावे।

हमने उभयपक्षों को सुना पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा ढण्डेला बारानी के खाता संख्या 318/288 की कुल 7.1200 हैक् व रोही मौजा चक 1 बी बारानी के खाता संख्या 28/30 की 4.0480 हैक् भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 71 के नाम दर्ज है

वादीगण का कथन है कि वाद भूमि पूर्व में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 70 के पूर्वजों के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने के बाद विरास्तन से वाद भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 70 के नाम से वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है वादीगण के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ता 70 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया गया जो शामिल मिसल है। अर्थात हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6, 8 के अनुसार पैतृक सम्पत्ति में वादी का हक हिस्सा है अर्थात दादा की सम्पत्ति में पौते/पौतियों को बराबर का हक हिस्सा होगा। अर्थात वाद भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 70 के हक हिस्सा की भूमि है।

वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 19 ता 70 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 19 ता 70 ने स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जाकर निवेदन किया जा चुका है कि वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 18 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है।

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायाधिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते हैं के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है तथा प्रतिवादी संख्या 19 ता 70 ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प ड्यूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 70 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों एवं न्यायाधिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा ढण्डेला बारानी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2073-2076 के खाता संख्या 318/288 के कुल खसरे 2 का कुल क्षेत्रफल 7.1200 है० भूमि में मृतक पाली पुत्री मीरा व मृतक लीलो पुत्री जगराम व प्रतिवादी संख्या 19 ता 23 व प्रतिवादी संख्या 28 ता 65 का नाम कलमजन किया जाकर कुल 6.821 है० में से पहले से दर्ज सहित 2.360 है० भूमि में वादी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 व 9 प्रत्येक का 1/7 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 5 व 6 प्रत्येक का 1/21 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 7 व 8 का

संयुक्त रूप से 1/21 हिस्सा व 2.101 है० भूमि में वादी संख्या 2 व प्रतिवादी संख्या 10 ता 13 पांचो ब० हि० ब० दर्ज किया जावे तथा 2.360 है० भूमि में प्रतिवादी संख्या 14 ता 16 का संयुक्त रूप से 3/4 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 17, 18 का संयुक्त रूप से 1/4 हिस्सा भूमि दर्ज की जावे तथा रोही मौजा 1 बी बारानी तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2071-2074 के खाता संख्या 28/30 के कुल खसरे 16 का कुल क्षेत्रफल 4.0480 है० में मृतक पाली पुत्री मीरा व मृतक लीलो पुत्री जगराम व प्रतिवादी संख्या 19 ता 23 व प्रतिवादी संख्या 28 ता 65 का नाम कलमजन किया जाकर पहले दर्ज सहित इस प्रकार दर्ज की जावे -1.3418 है० भूमि में वादी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 व 9 प्रत्येक के 1/7 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 5, 6 प्रत्येक के 1/21 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 7 व 8 संयुक्त रूप से 1/21 हिस्सा व 1.1946 है० भूमि में वादी संख्या 2 व प्रतिवादी संख्या 2 व प्रतिवादी संख्या 10 ता 13 पांचो ब० हि० ब० दर्ज की जावे व 1.3418 है० भूमि में प्रतिवादी संख्या 14 ता 16 का संयुक्त रूप से 3/4 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 17, 18 संयुक्त रूप से 1/4 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 22.10.2021 को प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष - 2021 मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

नोहर (हनुमानगढ़)

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष- 2021

कैम्प कोर्ट....ढण्डेला

सत्यमेव जयते

- 53 किताबो पत्नी जयमलराम जाति नायक निवासी ढण्डेला तहसील नोहर।
- 54 सिलोचना पुत्र जयमलराम पुत्र जगराम जाति नायक निवासी ढण्डेला तहसील नोहर।
- 55 रानीदेवी पुत्री जयमलराम पुत्र जगराम जाति नायक निवासी ढण्डेला तहसील नोहर।
- 56 रूकमा पुत्री जयमलराम पुत्र जगराम जाति नायक निवासी ढण्डेला तहसील नोहर।
- 57 सिलोचना उर्फ सुमन पत्नी धर्मपाल पुत्र जयमलराम जाति नायक निवासी ढण्डेला तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
- 58 सोनु कुमारी उर्फ सोनु पुत्री धर्मपाल पुत्र जयमलराम जाति नायक निवासी ढण्डेला तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
- 59 गोरा पुत्री भादरराम जाति नायक निवासी ढण्डेला तहसील नोहर।
- 60 गिरदावरी पत्नी रतीराम पुत्र भादरराम जाति नायक निवासी ढण्डेला तहसील नोहर।
- 61 केशर पुत्री रतीराम पुत्र भादरराम जाति नायक निवासी ढण्डेला तहसील नोहर।
- 62 रूकमा पुत्री मनफुल जाति नायक निवासी ढण्डेला तहसील नोहर।
- 63 रानी पुत्री मनफुल जाति नायक निवासी ढण्डेला तहसील नोहर।
- 64 निरमा उर्फ कृष्णा कुमारी पुत्री मनफुल जाति नायक निवासी ढण्डेला तहसील नोहर।
- 65 सीला उर्फ सरोज पुत्री मनफुल जाति नायक निवासी ढण्डेला तहसील नोहर।
- 66 मन्जू पुत्री पाली पुत्री मीरा जाति नायक निवासी ढण्डेला तहसील नोहर।
- 67 सुन्दर पुत्री पाली पुत्री मीरा जाति नायक निवासी ढण्डेला तहसील नोहर।
- 68 नोरग पुत्र पाली पुत्री मीरा जाति नायक निवासी ढण्डेला तहसील नोहर।
- 69 लिछमा पुत्री पाली पुत्री मीरा जाति नायक निवासी ढण्डेला तहसील नोहर।
- 70 रचना पुत्री पाली पुत्री मीरा जाति नायक निवासी ढण्डेला तहसील नोहर।
- 71 मुर्ति पुत्री पाली पुत्री मीरा जाति नायक निवासी ढण्डेला तहसील नोहर।
- 72 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 465 सन 2021 निर्णय दिनांक- 22.10.2021

आज यह वाद प्रशासन गांव क संग अभियान वर्ष - 2021 कैम्प कोर्ट में मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष उभयपक्षों की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं आपसी सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा ढण्डेला बाराणी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2073-2076 के खाता संख्या 318/288 के कुल खसरे 2 का कुल क्षेत्रफल 7.1200 है0 भूमि में मृतक पाली पुत्री मीरा व मृतक लीलो पुत्री जगराम व प्रतिवादी संख्या 19 ता 23 व प्रतिवादी संख्या 28 ता 65 का नाम कलमजन किया जाकर कुल 6.821 है0 में से पहले से दर्ज सहित 2.360 है0 भूमि में वादी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 व 9 प्रत्येक का 1/7 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 5 व 6 प्रत्येक का 1/21 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 7 व 8 का संयुक्त रूप से 1/21 हिस्सा व 2.101 है0 भूमि में वादी संख्या 2 व प्रतिवादी संख्या 10 ता 13 पांचो ब0 हि0 ब0 दर्ज किया जावे तथा 2.360 है0 भूमि में प्रतिवादी संख्या 14 ता 16 का संयुक्त रूप से 3/4 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 17, 18 का संयुक्त रूप से 1/4 हिस्सा भूमि दर्ज की जावे तथा रोही मौजा 1 बी बाराणी तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2071-2074 के खाता संख्या 28/30 के कुल खसरे 16 का कुल क्षेत्रफल 4.0480 है0 में मृतक पाली पुत्री मीरा व मृतक लीलो पुत्री जगराम व प्रतिवादी संख्या 19 ता 23 व प्रतिवादी संख्या 28 ता 65 का नाम कलमजन किया जाकर पहले दर्ज सहित इस प्रकार दर्ज की जावे -1.3418 है0 भूमि में वादी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 व 9 प्रत्येक के 1/7 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 5, 6 प्रत्येक के 1/21 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 7 व 8 सयुक्त रूप से 1/21 हिस्सा व 1.1946 है0 भूमि में वादी संख्या 2 व प्रतिवादी संख्या 2 व प्रतिवादी संख्या 10 ता 13 पांचो ब0 हि0 ब0 दर्ज की जावे व 1.3418 है0 भूमि में प्रतिवादी संख्या 14 ता 16 का संयुक्त रूप से 3/4 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 17, 18 संयुक्त रूप से 1/4 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 22.10.2021 को प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष - 2021 में मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

नोहर (हनुमानगढ)

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष- 2021

कैम्प कोर्ट ढण्डेला